

2/8/22

पत्रावली माफ़ पेश हुई जाची एवं वकील
जाची अनुपस्थित ? इस प्रार्थना पत्र
से सम्बन्धित मूलवाद को अदालत
पेश करी, अदालत दायरी में खारिज किया
जा चुका है। अतः मूलवाद को
खारिज हो जाने से इस प्रार्थना
पत्र को अगे चलाने का कोई
संभव नहीं रह जाने से इस
पत्रावली को खारिज किया जाता
है। पत्रावली कैलकुलेशन हेतु
दफ़्तर नम्बर से काम होने पर दायरी
दफ़्तर है।

निर्णय माफ़ दिनांक 2/8/2022 को
उपरोक्त न्यायालय एवं सेवे इजलास
सुनाया गया !


उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)